शासन-146
MDM

आवश्यक

संख्या–843/79–6–2017

प्रेषक,

निहालुद्दीन खॉ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग– 6 लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2017

विषयः–प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं का चयन/क्रियान्वयन सम्बन्धित दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

CFO/TC

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/592–96/2017–18 दिनांक–17.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं का चयन/क्रियान्वयन हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं का चयन ई–टेन्डरिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश (प्रतिलिपि संलग्न) संख्या–सं0–3/2017/1067/78–02–2017/42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्टकरें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(निहालुद्दीन खॉ)
संयुक्त सचिव।

G.O.2017

संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः12 मई 2017

विषय- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना ।

महोदय/ महोदया,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई-टेण्डरिंग करने वाले विभागों/उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी., लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- यदि विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आई० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11- जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/स्वायतशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टेण्डर संबंधित निर्देश/ शासनादेश निर्गत किये गये है, उन सभी पर, उस सीमा तक, इस ई- टेण्डर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12- प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई-टेण्डरिंग संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन, तकनीकी ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई-टेण्डर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तद्नुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या-3/2017/1067(1)/78-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।
10- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।
11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ।
12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
14- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
15- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in